फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

जीताराम पुत्र पेराराम सरगरा निवासी – खारीया नीवं

आरती पुत्री सुगनाराम सरगरा निवासी – खारीया नीव

किस्म मुकदमाः– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 108 आर.टी.एक्ट.1955 मु0न0 116/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
4/7/25	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53, 108 आर.टी.एक्ट.1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 01/09/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	
1/9/25	अधिवादीगण। प्रति के 12 मी आरटी अधिनी अण्डायमन्यीयी ने नेत्र तथा जवाबदावा पेश किया, लागिम० थी। प्रति दिवाई जावे। प्रति सं- 1 से 6, 8 से 11, 13, 14 को जारी समन बाद तामील प्राप्त, लागिम० थी। वापस हुआ। तामीली मुकर्रर पत्रावली आयंदा किए 17/9/25 को पेश थी। SDO Sojat	Notepress वादी अधिवक्ता 23/9 को वकालत Surendra 18/9/25
17/9/25		
18/9/25	अधिवादीगण। अधिवादी द्वारा प्रस्तुत रा० वाद को नोटपेज किया जाकर डिक्रिम पर अपने हस्ताक्षर किये। लिहाजा वादी का वाद जरिये नोटपेज खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कोर्ट के बाद तामील/तमील लेख कराया जावे। SDO Sojat	